बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 205 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 15 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

79वां स्वतंत्रता दिवस: न्याय, स्वतंत्रतता, समता और बंधुत्व संविधान के मूल्य, देश के नाम राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। हम सबके लिए यह गर्व की बात हैं कि स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस सभी भारतीय उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं।

*** इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-भूमि, विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर, हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली।**

नई दिल्ली।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया। जिससे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली।

हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत-भूमि, विश्व के प्राचीनतम गणराज्यों की धरती रही है। इसे लोकतंत्र की जननी कहना सर्वथा उचित है। हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर, हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए, हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है।

विभाजन की विभीषिका को न भूलें

राष्ट्रपति ने कहा- अतीत को देखते हुए, हमें देश के विभाजन से हुई पीड़ा को कदापि नहीं भूलना चाहिए। आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोगों को विस्थापित होने के लिए मजबूर किया गया। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते है।

न्याय, स्वतंत्रतता,समता और बंधुत्व- संविधान के चार मूल्य

राष्ट्रपति मुर्मू ने आगे कहा, प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे चार मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे लोकतंत्र को मुदृढ़ बनाए रखने वाले चार स्तंभ है। वे मूल्य है- न्याय, स्वतंत्रतता,समता और बंधुत्व। ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत है, जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुन जीवंत बनाया। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है।

सभी समान, सबके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो- राष्ट्रपति

इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा- प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को यह अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा-सुविधाओं तक, सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे।

उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतो को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में हमने एक नई यात्रा शुरू की।

स्वाधीनता के समय घोर गरीबी से जूझ रहा था भारत

राष्ट्रपति ने भारत की आजादी का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी हुकूमत की लंबी अवधि के बाद स्वाधीनता के समय भारत घोर गरीबी से जूझ रहा था। लेकिन तब से अब तक के 78 वर्षों में हमने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां साफ-साफ देखी जा सकती हैं।

भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश

विश्व में भारत की बढ़ती छवि को लेकर राष्ट्रपति ने कहा- पिछले वित्त वर्ष में 6.5 फीसदी की सकल-घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है। निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक, अर्थव्यवस्था के मजबूत स्थिति को दर्शा रहे है। यह हमारे श्रमिक और किसान भाई-बहनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ-साथ, सुविचारित सुधारों और कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है।

बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा- सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। सरकार गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर तो आ गए है, लेकिन मजबूत स्थिति नहीं है, उनको भी ऐसी योजनाओं की सुरक्षा उपलब्ध है, ताकि वे फिर से गरीबी रेखा से नीचे न चले जाएं।

ये कल्याणकारी प्रयास सामाजिक सेवाओं पर बढ़ते खर्च में परिलक्षित होते है। आय की असमानता कम हो रही है, क्षेत्रीय असमानताएं भी कम हो रही है। जो राज्य और क्षेत्र पहले कमजोर आर्थिक प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, वे अब अपनी वास्तविक क्षमता प्रदर्शित कर रहे है और अग्रणी राज्यों के साथ बराबरी करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अग्रणी व्यवसायियों, लघु एवं मध्यम उद्यमियों और व्यापारियों ने हमेशा कुछ कर गुजरने की भावना का परिचय दिया है। समृद्धि के सृजन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करने की आवश्यकता थी। पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे में हुए विकास में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमने भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। रेलवे ने भी नवाचार को प्रोत्साहन दिया है तथा नवीनतम तकनीकी से युक्त नए तरह की रेलगाड़ियों और डिब्बों का उपयोग किया जाने लगा है। कश्मीर घाटी में रेल-संपर्क का शुभारंभ करना, एक प्रमुख उपलब्धि है।

हवा-पानी की आज़ादी के बिना आज़ादी अधूरी

ललित गर्ग ।

देश एवं दुनिया के सामने स्वच्छ जल एवं बढ़ते प्रदूषण की समस्या गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है। शुद्ध हवा एवं पीने के स्वच्छ जल की निरन्तर घटती मात्रा को लेकर बड़े खतरे खड़े है। धरती पर जीवन के लिये जल एवं हवा सबसे जरूरी वस्तु है, जल एवं हवा है तो जीवन है। जल एवं हवा ही किसी भी प्रकार के जीवन और उसके अस्तित्व को संभव बनाता है। जीवन के तीन आधार तत्व है- हवा, पानी और धरती है। इनकी संख्या न केवल हमारी अस्तित्व-निर्भरता से जुड़ी है, बल्कि मानवता की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज का युग, जिस तेजी से विकसित हो रहा है, उसमे भागदौड़ में हवा और पानी को परम स्वाधीनता से वंचित कर रहा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, दिल्ली का उच्च प्रदूषण सूचकांक, अमेरिका के जंगलों की धूएं से गंदली हवा, बढ़ता वाहन प्रदूषण-ये सब संकेत देते हैं कि हवा से आजादी मतलब 'स्वच्छ हवा' पाना है। हमारे «आजादी» को नया अर्थ चाहिए जो यह प्राकृतिक संसाधनों यानी हवा एवं पानी की आजादी पर भी निर्भर है, जो मानव व पर्यावरण-जगत दोनों के लिए जीवनदायिनी है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक अस्तित्व का अधिकार है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे है, तब यह सवाल भी उठाना जरूरी है कि क्या हमें हवा और पानी की सच्ची आज़ादी मिली है? आज़ादी केवल तिथि नहीं, एक निरंतर संघर्ष है। यह सिर्फ झंडा फहराने का अधिकार नहीं, बल्कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं, समान अवसर और सम्मान देने की जिम्मेदारी है। हवा, पानी और धरती- इनके बिना जीवन संभव नहीं। पर दुर्भाग्य से आज इन मूलभूत संसाधनों पर गहरा संकट है। स्वच्छ हवा में सांस लेना और शुद्ध पानी पीना अब विलासिता जैसी चीज बनती जा रही है। 'हवा-पानी की आज़ादी' का मतलब है कि हर व्यक्ति को स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी तक सहज पहुंच हो। यह केवल स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि मानवता का मूल अधिकार है। परंतु शहरीकरण, औद्योगिकरण और संसाधनों के दुरुपयोग ने हवा और पानी दोनों को विकास बना दिया है। विश्व में 2.2 अरब लोगों के पास सुरक्षित पेयजल की सुविधा नहीं है। भारत में करोड़ों लोग अभी भी दूषित या अपर्याप्त पानी पर निर्भर है। रसायनयुक्त कृषि, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक प्रदूषण और भूजल के अंधाधुंध दोहन ने जल की गुणवत्ता को लगातार गिराया है। जल संकट भविष्य में सबसे बड़ा युद्ध का कारण बन सकता है। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ती युद्ध की संभावनाओं का कारण भी जल ही बनता हुआ दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाक पर सिंधु जल समझौते को रद्द कर देने से पाक में जल संकट खड़ा हो गया है, पाक की ओर से परमाणु बम की धमकी दी जा रही है, जहाँ भारत भी युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए तैयार में जुट गया है। जल संकट केवल भारत और पाक में ही नहीं, दुनिया में एक बड़ी समस्या है। क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे है, नदियों का प्रवाह घट रहा है, भूजल का स्तर गिर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी है। आंकड़े बताते है कि 2000 से अब तक बाढ़ की घटनाओं में 134 प्रतिशत और सूखे की अवधि में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। धरती का 70 प्रतिशत भाग पानी से भरा है, लेकिन पीने योग्य पानी केवल 3 प्रतिशत है, जिसमें से उपयोगी मीठा जल 1 प्रतिशत से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या और बर्बादी ने इस अमूल्य संसाधन को गंभीर संकट में डाल दिया है। दिल्ली और अन्य महानगरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 'बहुत खराब' या 'खतरनाक' श्रेणी में पहुंचता है। प्रदूषित हवा श्वसन रोग, हृदय रोग और कैंसर तक का कारण बन रही है। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है। रिसर्च बताती है कि दिल्ली के 75 प्रतिशत से अधिक बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है, आंखों में जलन और खांसी की शिकायत रहती है। वाहन प्रदूषण, औद्योगिक धुआं, निर्माण गतिविधियों की धूल और फसल अवशेष जलाना- ये सब मिलकर हवा को जहरीला बना रहे हैं। भारत के पास जल प्रबंधन की प्राचीन परंपरा रही है- तालाब, कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और स्नेहरा जल संरक्षण के अद्भुत उदाहरण है। राजस्थान के किलों और गांवों में जल संचयन व्यवस्था आज भी दुनिया के लिए प्रेरणा है। पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र कहते थे- अब भी खरे है तालाब। आज आवश्यकता है कि हम इन परंपराओं को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर जल संकट का समाधान करें। सरकार ने 'अटल भूजल योजना', 'जल से जल' और 'नदी पुनर्जीवन' जैसी योजनाएं शुरू की है। लेकिन केवल सरकारी प्रयास काफी नहीं, जनभागीदारी आवश्यक है। गांव-गांव में वर्षा जल संचयन, नदियों की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन और भूजल रक्षाहण की व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। हवा की शुद्धता के लिए जरूरी है कि सार्वजनिक परिवहन को विश्वसनीय और सुलभ बनाया जाये, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाये, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त नियंत्रण हो, हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण को बढ़ाना अत्यंत जरूरी कदम है। आज़ादी का असली मतलब यह है कि सत्ता का केंद्र नागरिक हो, उसकी मूलभूत सुविधाएं हो और उसकी आवाज सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं, नीतियों और फैसलों में भी सुनी जाए। आज़ादी के अमृतकाल में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए हमें हवा एवं पानी की आज़ादी के लिये संकल्प लेना होगा। वायु-जल संसाधनों पर गहराते संकट को खत्म करने के लिए अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन करना होगा। इसके लिए सभी लोगों को बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष, किसान, उद्यमियों सभी को पहल करनी है। पानी को बचाने एवं हवा की शुद्धि की आदत को व्यवहार में ढालना होगा। हवा में घुल रहा प्रदूषण भी खतरनाक होता जा रहा है। भू-विज्ञान मंत्रालय के एक रिसर्च के अनुसार वायु निर्माण में 41 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों की रहती है। भवन निर्माण आदि से उड़नेवाली धूल 21.5 प्रतिशत के दूसरे स्थान पर है। दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़े के मुताबिक पिछले 30 साल में वाहन और उनसे होने वाला प्रदूषण तीन गुणा बढ़ गया है। फिर भी सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को बेहतर और विश्वसनीय बनाने की दिशा में कुछ खास नहीं किया गया। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। खेती में प्रदूषकों को रोकथाम से जल संसाधनों के संकट और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के संकट को कम किया जा सकता है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को नियमित करके समस्या को काफी हद तक सुलझाया जा सकता है। उपलब्ध जल संसाधनों तक उपभोग को सीमित करके, संसाधन पर दबाव कम किया जा सकता है। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, विज्ञान और तकनीक में नए मुकाम हासिल हो रहे है। मेट्रो ट्रेन, डिजिटल पेमेंट, सैटेलाइट मिशन और वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव हमें गर्व से भर देता है। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच छुपा है-हमारी आजादी अब भी अधूरी है। यह अधूरापन केवल गरीबी या बेरोजगारी का नहीं, बल्कि शुद्ध हवा-पानी जैसी मूलभूत जरूरतों से जुड़ी सोच, व्यवस्था और व्यवहार में गहरे बैठी असमानताओं का है। हमने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाई, लेकिन अगर हमारे बच्चे दूषित हवा में सांस लें और जहरीला पानी पिएं, तो यह कैसी आज़ादी है? आज़ादी का वास्तविक अर्थ तभी होगा जब हर नागरिक को स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी मिले।

सम्पादकीय...

वोट की आजादी

आजाद भारत ने अपने लोगों को सबसे बेशकीमती चीज क्या दी है? किसी से भी पूछ जाए तो जवाब होगा, वोट। हम अधिकतर भारतीयों को आजादी के 78 साल बाद भी न काम का रोजगार दे सके, न मकान दे सके, न तो बच्चों के लिए सही शिक्षा ही दे सके। कईयों को तो रोटी, कपड़ा और मकान की भी समस्या रहती है। ले-देकर उनके पास उनका वोट है जो उन्हें हैसियत देता है, पहचान देता है, महत्व देता है और जो उन्हें पांच साल के बाद बदला लेने की ताकत देता है। इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी से एमरजेंसी का बदला लिया, पर जनता पार्टी की सरकार की नालायकी को देखते हुए इंदिरा गांधी को फिर सत्ता सौंप दी। यूपीए की सरकार के भ्रष्टाचार को देखते हुए उसे विदा कर दी गई और पिछले लोकसभा के चुनावों में भाजपा को बहुमत से नीचे ला कर उन्हें भी बता दिया कि केवल आकर्षक नारों से ही पेट नहीं भरता। अगर लोगों में कट जाओगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर लोग तो अधिकतर वर्ग से ही नहीं निकलते जबकि बस्तियों के पास भारी मतदान होता है। चाहे बड़ी संख्या में वह अशिक्षित हो, पर वोट की कीमत वह जानते है। उनके लिए यह समानिकरण का उपकरण है। उत्तर दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर मार्केट में काम कर रहे बिहार के अररिया जिले के मुकेश राम का कहना है कि वह घर केवल दो बार जाता है, छठ पूजा और चुनाव के लिए। वह कहता है कि वोट देना जरूरी है। उससे आप सिस्टम में रहते है। जो गरीब है, वंचित है, समाज के सबसे नीचे के पायदान पर खड़े है (और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऐसा लोग भरे हुए है) वह समझते है कि शासक और उपरोक्त वर्ग से जवाबदेही के लिए वोट ही उनके पास एकमात्र हथियार है। चुनाव के समय उनकी वोट के कारण नेताओं भी हाथ जोड़ कर उनके द्वार पर खड़े हो जाते है। अगर किसी तकनीकी आधार पर या किसी और बहाने उन्हें वोट से वंचित किया गया तो यह न केवल हताशा बल्कि आक्रोश को भी जन्म दे सकता है। जैसे मुकेश राम ने कहा है 'सिस्टम' में रहना आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जो शुरू की है और जिस तरह वो है उससे बहुत बेचैनी फैल रही है। कई असुखद सवाल उठ रहे है। 24 जून को अचानक चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि वह बिहार में सही मतदाताओं की जांच के लिए एसआईआर शुरू कर रहा है। बिहार में नवम्बर में चुनाव होने है। इतने कम समय में क्या चुनाव आयोग 8 करोड़ मतदाताओं की सही जांच कर सकेगा? विशेष तौर पर उस प्रांत में जहां से भारी संख्या में लोग बाहर काम करने जाते है? ऐसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिए समय चाहिए, पर बिहार में प्रक्रिया उस समय शुरू की गई जब वहां बाढ़ ग्रस्त लोग उससे जूझ रहे थे। वहां सत्तारूढ़ जद (यु) के सांसद गिरिधारी यादव ने भी शिकायत की है कि प्रदेश का इतिहास और भूगोल जाने बिना चुनाव आयोग ने जबरदस्ती यह प्रक्रिया हम पर थोप दी है। आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए जो शर्तें रखीं वह भी अजीब है। मतदाता को अपनी पहचान बताने के लिए जिन 11 दस्तावेजों में से एक बताना है उनमें आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र या राशन कार्ड नहीं है। अजीबोगरीब स्थिति है कि जिस पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड स्वीकार्य होता है उसे तो सूची में रखा गया है, पर आधार कार्ड नहीं है। गजब है कि चुनाव आयोग ने तो अपना पिछला वोटर पहचान पत्र ही अस्वीकार कर दिया। जिन्होंने वोटर कार्ड के बल पर 2020 में वहां वोट डाला था या 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था निश्चित नहीं कि उन्हें वोट का अधिकार मिलेगा। 2011 की महागणना के अनुसार बिहार में 50 प्रतिशत महिलाएं और 40 प्रतिशत पुरुष अशिक्षित है। तब से स्थिति बेहतर हुई है, पर अधिकतर के पास जो दस्तावेज आयोग मांग रहा है, वह नहीं है। न पासपोर्ट है, न जन्म या जाति या शिक्षा या जमीन या किसी सरकारी दफ्तर का कोई प्रमाण पत्र ही है। पूर्व राजनयिक पवन वर्मा जो बिहार से सांसद भी रहे है का लिखना है, «स्पष्ट है कि वहां धरातल पर पूरी तरह से गड़बड़ है और भ्रम की स्थिति है क्योंकि बेसहारा गरीब लोग अपना हक मांग रहे है।» इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में रह रहे कृष्णमार्ग के अंकित कुमार के बारे बताया है जिसका कहना है कि वह वोट डालने जाना चाहता था, पर नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास 'केवल' आधार कार्ड और वोटर कार्ड है जो मान्य नहीं है। उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। यह कितनी 'त्रासदी' है? आम आदमी अपनी नागरिकता कैसे सिद्ध करेगा? अवैध प्रवासियों को सूची से निकालने के बहाने वैध मतदाता वंचित नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग का काम वोटर जोड़ना है उन्हें वंचित करना नहीं। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए वोटर की सूची देना या नाम न शामिल करने का कारण बताना, कानून में जरूरी नहीं है। यह सही है, पर अगर आयोग यह बता दे तो क्या आफत आ जाएगी? चुनाव आयोग के अपने ड्राफ्ट रोल के अनुसार विशाल 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काटे गए है। यह कुल का 9% बनता है जो बहुत बड़ा और परेशान करने वाला आंकड़ा है। 1977 के बाद बिहार के हर चुनाव में वोटर बढ़े है, पर इस बार बहुत गिरावट होगी। वयस्कों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है, पर वोटर घट रहे है! 65 लाख तो वह है जो वोटर लिस्ट से कटे जाएंगे, पर वह कितने है जो शामिल ही नहीं किए गए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी का कहना है कि चुनाव आयोग को अंतिम वोटर तक पहुंचना चाहिए, पर वहां तो लाखों काटे जा रहे है और कोई कारण सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस विवाद के बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ मिल कर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि कर्नाटक की बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 100250वोट का फ्राड हुआ है। भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कथित साज़िश का कोई प्रमाण राहुल गांधी ने नहीं दिया, पर वोटर लिस्ट में धांधली के कई प्रमाण उन्होंने दिए है। एक कमरे में 80 वोट है। कई फर्जी पते हैं, कई डुप्लीकेट वोट है। उनके आरोप है कि इस धांधली के कारण ही भाजपा यह सीट जीतने में सफल रही। चुनाव आयोग का बिहार की एसआईआर और राहुल गांधी के महादेवपुरा विधानसभा चुनाव के बारे लगाए आरोपों के बारे जो असहयोग पूर्ण और अड़ियल रवैया है वह समझ से बाहर है। मैं राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोप से सहमत नहीं हूं, पर उनके गड़बड़ के आरोप को गंभीरता से लेना चाहिए। आखिर राहुल गांधी आम नागरिक नहीं है, वह विपक्ष के नेता है। उनके आरोप को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आयोग समझता है कि वह आरोप सही नहीं है तो उन्हें उनका प्रमाण सहित जवाब देना चाहिए। बार-बार यह कह कर कि 'एफिडेविट दो', 'एफिडेविट दो', आयोग खुद संशय पैदा कर रहा है। राहुल गांधी सबूत पेश कर रहे है, आप कह रहे है कि एफिडेविट दो। पूर्व चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत का सही कहना है कि आयोग को राहुल गांधी के आरोपों पर बिना औपचारिक शिकायत का इंतजार किए जांच करवानी चाहिए।

79वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष: साम्राज्यवाद और भारत के साथ उसकी दादागीरी

प्रभात पटनायक

यह विडंबनापूर्ण है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारतीय जनता के संघर्ष की जीत की अठहत्तरवीं सालगिरह के मौके पर, अमेरिकी साम्राज्यवाद भारत को खुल्लमखुल्ला धौंस दे रहा है कि उसका फरमान मानना पड़ेगा। बहरहाल, यह कहा जा सकता है कि ऐसा करना तो साम्राज्यवाद की प्रकृति ही है। वास्तव में इन अठहत्तर सालों के दौरान अमेरिकी साम्राज्यवाद ने भारत को अपने फरमानों के हिसाब से चलाने की कई कोशिशें की हैं। लेकिन, पहले की इन कोशिशों और वर्तमान कोशिश में, दो बुनियादी अंतर है। पहला, वर्तमान कोशिश को इस तरह की भाषा में लपेट कर पेश नहीं किया जा रहा है कि, 'हम जो कह रहे है, खुद अपने लाभ के लिए वही करो।' अब भाषा उससे कहीं ज्यादा बेलाग है- 'हम जो कह रहे है, अपने फायदे के लिए वही करो, वर्ना तुम्हें सजा दी जाएगी।' दूसरे, अतीत में जो होता आया था उसके विपरीत भारत सरकार अब इसका दो-टूक तरीके से मुकाबला नहीं कर रही है बल्कि इस दादागीरी के सामने मिश्रित संकेत दे रही है। मैं इसका खुलासा करना चाहूंगा। स्वतंत्र भारत ने जब सीटो (एसईएटीओ) तथा सेंटो (सीईएनटीओ) जैसे, सैन्य गठजोड़ों में से किसी में भी शामिल होने से इंकार कर दिया था, जो अमेरिकी साम्राज्यवाद ने सोवियत संघ को घेरने के लिए दुनिया भर में खड़े किए थे और इसके बजाए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को चुना था, उसने अमेरिका की नाराजगी मोल ली थी। अमेरिका के तत्कालीन विदेश सचिव, जॉन फॉस्टर डलास ने यह सिद्धांत पेश किया था 'अगर तुम हमारे साथ नहीं हो, तो तुम हमारे खिलाफ हो'। इसी के अनुसार अमेरिका ने भारत के साथ शत्रुता का बरताव किया। नियोजन के महत्वाकांक्षी वर्षों के दौरान, जब आत्मनिर्भरता पर, सार्वजनिक क्षेत्र के तत्वावधान में अर्थव्यवस्था का भारी उद्योग आधार निर्मित करने पर और देश की अर्थव्यवस्था पर विकसित दुनिया की पूंजी के शिकंजे को हटाने पर जोर दिया जा रहा था, हमें अमेरिका से भी और विश्व बैंक जैसी उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं से भी, शायद ही कोई 'विकास सहायता' मिली थी। अमेरिकी फंड से संचालित जो विचित्र अमेरिकी 'विशेषज्ञ' भारत के दौरे पर आए थे, उन्होंने उस महालनबीस रणनीति को अपनाने खिलाफ 'सलाह' दी थी, जो आत्मनिर्भरता के इस तरह प्राथमिकता दिए जाने को अभिव्यक्ति देती थी। (देखिए, डेनियल और एलिस थार्नर की किताब, लैंड एंड लेबर इन इंडिया में लेख, 'प्लाओइंग द प्लान अंडर'। बहरहाल, सोवियत संघ के सुदृढ़ समर्थन से भारत गुटनिरपेक्षता की अपनी नीति और आत्मनिर्भरता की अपनी नीति, दोनों पर डटा रहा और उसने ऐसा किया विकसित दुनिया की पूंजी के वर्चस्व को काट करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र का उपयोग करने के जरिए। उसे विदेशी मुद्रा की कड़ी राशनिंग करनी पड़ी, लेकिन वह अपने रास्ते पर बना रहा। 1950 के दशक के आखिर में, डलेस की मृत्यु के बाद अमेरिका ने धीरे-धीरे अपना रुख बदला। उसको डर था कि उसको दूर खड़े रहने की जैसी नीतियां, भारत जैसे देशों को झुकाने का काम करने के बजाए, खुद उसी का नुकसान कर रही थीं (और सोवियत संघ की मदद कर रही थीं)। पचास के दशक के आखिर में आइजनहावर के भारत के दौरे के बाद, आखिरकार विश्व बैंक से कुछ 'सहायता' आनी शुरू हुई और वह भी सिर्फ बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए। पुन बांग्लादेश युद्ध के दौरान, जब भारत के हस्तक्षेप ने अमेरिका को गड़बड़ी का फायदा उठाने के स्वर्णिम अवसर से वंचित कर दिया, उसकी सरकार तो इतनी खफा हो गयी कि उसने अपने विमान वाहक बेड़ा, यूएसएस एंटरप्राइज की अगुआई में अपने टास्क फोर्स 74 को भारत को धौंस देने के लिए बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। बहरहाल, अमेरिकी धमकियों से अविचल भारत अपने रास्ते पर कायम रहा और उसने बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया में मदद की। इस तरह अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा दादागीरी चलाया जाना और सिर्फ अपना वर्चस्व कायम करने के आम साम्राज्यवादी उद्यम के तौर पर ही नहीं, ठोस मामलों में भी भारत को अमेरिकी एजेंडा के हिसाब से चलाने की कोशिशें किया जाना, एक पुरानी परिघटना है और स्वतंत्र भारत पहले सफलता के साथ इसका प्रतिरोध करता आया था। लेकिन, वर्तमान दादागीरी, भले ही नयी चीज नहीं है, एक बिल्कुल भिन्न संदर्भ में हो रही है, जहां देश ने नव-उदारवादी पूंजीवाद को और इसलिए वैश्वीकृत वित्तीय पूंजी के वर्चस्व को अंगीकार किया है। डोनाल्ड ट्रंप की वर्तमान धौंसबाजी, जो भारत तक ही सीमित नहीं है, दो मुद्दों को लेकर है। पहला है टैरिफ का मुद्दा। इस मामले में 1 अगस्त तक समझौता नहीं हो पाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिकी बाजारों में भारतीय मालों पर 25 फीसद टैरिफ लगेगा। दूसरा मुद्दा दंडात्मक टैरिफों का है, जो अमेरिका, भारतीय मालों पर सिर्फ इसलिए लगाने की धमकियां दे रहा है कि भारत, रूस के खिलाफ पश्चिमी द्वारा लगायी गयी पाबंदियों का उल्लंघन करते हुए, उससे तेल खरीदता रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स को लेकर भी टिप्पणियां की हैं, जो इसका इशारा है कि वह भारत को इसके लिए धौंस में लेने का इरादा रखता है कि वह या तो ब्रिक्स संगठन को छोड़ ही दे या और भी ज्यादा संभावना उससे इस संगठन में अमेरिका के एजेंट या ट्रोजन हॉर्स का काम कराने की है। बहरहाल, रूसी तेल खरीदने के तात्कालिक तथा बुनियादी मुद्दे पर भारत सरकार किंतु-परंतु करती रही है, परस्पर-विरोधी बयान देती रही है, जो अमेरिका के तुष्टिकरण की ओर इशारा करते है। चूंकि रूसी तेल, अमेरिका द्वारा अनुमोदित, भारत को उपलब्ध दूसरे सभी तेल स्रोतों से सस्ता है, यह स्वतःस्पष्ट है कि भारत को दबाव डालकर रूसी तेल खरीदना बंद करने के लिए मजबूर किया जाना, उसे अपने ही हितों के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जाना है। और वह भी किसलिए? ये कोई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगायी गयी पाबंदियां तो है नहीं, जैसी पाबंदियां मिसाल के तौर पर रंगभेदी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगायी गयी थीं। ये तो अमेरिका तथा अन्य साम्राज्यवादी देशों द्वारा अपना हुक्म न मानने वाले देशों के खिलाफ लगायी गयी पाबंदियां है, जैसे क्यूबा, ईरान या वेनेजुएला के खिलाफ उसकी पाबंदियां। इसलिए, अन्य देशों को धौंस देकर ऐसी पाबंदियां स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, साम्राज्यवाद के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें अपने ही हितों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करना है। दूसरे शब्दों में इसका कोई आवरण तक नहीं है कि इन देशों से किसी उच्चतर सिद्धांत के नाम पर, अमेरिका का अनुसरण करने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें तो खुल्लमखुल्ला और साफ तौर पर धौंस में लिया जा रहा है, ताकि खुद उनकी कीमत पर, साम्राज्यवाद के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाया जा सके। मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर ट्रंप की बात को साहसपूर्वक और निर्णायक तरीके से ठुकराया क्यों नहीं? आखिरकार, अगर चीन को छोड़ भी दिया जाए तब भी, ब्राजील जैसे पूंजीवादी देश की भी सरकार ने ट्रंप का साहस के साथ जवाब दिया है। राष्ट्रपति लूला ने एलान किया है कि अगर ट्रंप, ब्राजील के मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगाएगा, तो ब्राजील भी अमेरिकी मालों पर 50 फीसद टैरिफ लगा देगा। कांग्रेस पार्टी ने उचित ही मोदी की बुजदिली को रेखांकित किया है और उसके मुकाबले में बांग्लादेश युद्ध के दौरान निक्सन से इंदिरा गांधी की साहसिक टक्कर को रखा है। (निक्सन ने एक बार कबूल किया था कि उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने में डर लगता था।) लेकिन, एक नेता की साहसिकता या बुजदिली, वर्गीय आधार से स्वतंत्र नहीं होती है। और लूला और मोदी के बीच यही अंतर है कि जहां लूला की जड़ें मजदूर वर्ग के बीच हैं, मोदी को मजदूरों के कुछ वोट भले ही मिलते हों, वह बुनियादी तौर पर बड़े पूंजीपति वर्ग के सहारे खड़े है। इसी प्रकार, अमेरिकी साम्राज्यवाद के धौंसबाजी के हथकंडों के प्रति, भारत के रुख में तब और अब में जो अंतर है, वह उतना ज्यादा मोदी की तुलना में नेहरू तथा इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत गुणों की भिन्नता में निहित नहीं है (हालांकि उनके व्यक्तिगत गुणों के अंतर से इंकार नहीं किया जा सकता है), बल्कि यह अंतर साम्राज्यवाद-विरोधी नियंत्रणात्मक निजाम और नव-उदारवादी निजाम के बीच के अंतर में ही ज्यादा निहित है। यह स्वतःस्पष्ट है कि किसी देश की विदेश नीति और उसकी आर्थिक नीति के बीच घनिष्ठ रिश्ता होता है। जहां नियंत्रणात्मक आर्थिक नीति, जो आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देती थी, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति से मेल खाती थी और इसलिए, साम्राज्यवादी दादागीरी का मुकाबला करने के लिए उसके तैयार होने से तथा मुकाबला करने की उसकी सामर्थ्य से मेल खाती थी, नव-उदारवादी निजाम तो आत्मनिर्भरता की किसी भी कोशिश को विफल करने में ही गर्व करता है। 'मेक इन इंडिया' विदेशी पूंजी के लिए इसका आमंत्रण भर है कि यहां आकर उत्पादन करे। नव-उदारवाद का मूल तर्क ही, किसी भी विकासशील देश का आत्मनिर्भरता की तमाम कोशिशों से दूर हटना है और यह अपरिहार्य रूप से इन देशों को साम्राज्यवादी धौंसबाजी के सामने वेध्य बना देता है। भारत में जब नव-उदारवादी निजाम लाया गया था, उसके पक्ष में यह दलील दी जा रही थी कि यह एक स्थायी नयी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अंतर्गत पूंजी वैश्विक स्तर पर गतिमान होगी, जिसके चलते विकासशील दुनिया या ग्लोबल साउथ के कम मजदूरी वाले देश अब ऐसी अनेक आर्थिक गतिविधियों का मुख्य ठिया बन जाएंगे, जो पहले विकसित दुनिया या वैश्विक उत्तर में अपना ठिया बनाए रही थीं।

उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरह का पुनर्स्थापन, दक्षिण में पिछड़ेपन और गरीबी को मिटा देगा। बहरहाल, इस दलील की एक स्वतःस्पष्ट समस्या यह थी कि किसी वैश्विक व्यवस्था के संबंध में कुछ भी सदा-सदा के लिए वैध मानकर नहीं चला जा सकता है। इस तरह की व्यवस्थाएं, साम्राज्यवाद द्वारा गढ़ी जाती है और जैसाकि अब स्वतःस्पष्ट है, साम्राज्यवाद उन्हें अपनी मर्जी से कभी भी बदल सकता है। लेकिन, जब साम्राज्यवाद ऐसी किसी मौजूदा व्यवस्था से अपने पांव पीछे खींचता है, उसके शिकंजे में फंसे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए, खुद को उसमें से निकाल पाना मुश्किल होता है। जब कोई देश व्यापार निर्भर हो जाता है, उसके व्यापार में कोई भी खलल पड़ने से, उस पर भारी चोट पड़ती है।

मतदाता की नागरिकता

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि पूरे अगस्त महीने में मतदाताओं को अपने दावे पेश करने का अधिकार है। चुनाव आयोग 30 सितम्बर को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन करेगा परन्तु अभी जो उसने फौरी सूची जारी की है उसमें बिहार के कुल सात करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिये गये है। देश की विपक्षी पार्टियां उसके इस फैसले का कड़ा विरोध कर रही हैं और कह रही है कि चुनाव आयोग पुनरीक्षण के नाम पर मतदाताओं के नाम काटने का सघन अभियान चला रहा है। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह एक नागरिक-एक वोट का सवाल है जिस पर भारत का पूरा लोकतन्त्र टिका हुआ है। विपक्ष का तर्क है कि चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच नहीं कर सकता है। उसे इसका अधिकार संविधान नहीं देता है। संविधान उसे देश में निष्पक्ष व स्वतन्त्र चुनाव कराने का अधिकार देता है। इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती कि चुनाव आयोग को किसी भी व्यक्ति की नागरिकता की जांच करने का अधिकार नहीं है। किसी भी नये मतदाता को यह वचन देना पड़ता है कि वह भारत का नागरिक है और उसका वोट बन जाता है। चुनाव आयोग ने इस सन्दर्भ में अपनी शर्तों में संशोधन किया है और वह नागरिकों से ऐसे प्रपत्र मांग रहा है जिसमें उनकी नागरिकता की पुष्टि होती हो। सर्वोच्च न्यायालय में गहन पुनरीक्षण को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई है जिनकी सुनवाई चल रही है। इसी सुनवाई के दौरान अदालत में प्रभावित पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि नागरिकता तय करने का काम केन्द्रीय गृह मन्त्रालय का है। इस तर्क के पक्ष में न्यायालय में सुनवाई कर रही दो न्यायमूर्तियों की पीठ ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा है कि नागरिकता कानून बनाने का काम भारत की संसद का है। संसद ही इस बारे में कानून बना सकती है। अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता की नागरिकता पर सवालिया निशान नहीं खड़ा कर सकता। ऐसा करने पर वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है। जबकि दूसरी तरफ भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक वयस्क वैध मतदाता को वोट देने का अधिकार है। इस हिसाब से बिहार की मतदाता सूची में लोगों के नाम बजाय घटने के बढ़ने चाहिए परन्तु चुनाव आयोग ने जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं उनके सन्दर्भ में जो कारण दिये है वे जायज लगते हैं। आयोग का कहना है कि 2003 के बाद लाखों लोगों ने बिहार छोड़ कर अन्य स्थानों को पलायन किया है, लाखों लोग मर चुके है व लाखों की संख्या में दो लोगों के नाम दो स्थानों पर मतदाता सूची में शामिल है। न्यायालय ने उसके इन तर्कों को स्वीकार किया है जो कि पूरी तरह जायज लगता है। मगर इसके साथ यह भी तर्क है कि 2003 के बाद बिहार में कितने मतदाता बढ़े हैं। क्योंकि चुनाव आयोग ने 2003 वर्ष को आधार वर्ष माना है। इस वर्ष बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था लेकिन इसके साथ यह सवाल जुड़ा हुआ है कि विगत वर्ष 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वे पुरानी मतदाता सूची के आधार पर ही हुए थे। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि क्या ये चुनाव गलत सूची के आधार पर हुए थे ? इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। मगर वह कह रहा है कि आधार कार्ड या पुराने मतदाता पहचान पत्र के आधार पर किसी जायज मतदाता की पहचान नहीं हो सकती है। उसके इस तर्क को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है और कहा है कि दोनों पहचान पत्र नागरिकता के प्रमाणपत्र नहीं हैं। यहां तक कि राशन कार्ड को भी न्यायालय नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं मान रहा है। निश्चित रूप से यह सही भी है कि क्योंकि आधार कार्ड पर ही यह लिखा होता है वह नागरिकता का सबूत नहीं है। राशन कार्ड भी भारत में फर्जी बना लिये जाते है और उनके बनवाने में आधार कार्ड का प्रयोग होता है। पुराने वोटर पहचान पत्र को लेकर भी यही दिक्कत है। अतः चुनाव आयोग के तर्कों में इन्हें लेकर वजन दिखाई देता है परन्तु यह सही सवाल का जवाब नहीं है क्योंकि संविधान कहता है कि नागरिकता की जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग को है ही नहीं। उसके सामने किसी भी व्यक्ति का यह शपथपत्र ही काफी है कि वह भारत का नागरिक है। उसकी नागरिकता को यदि कोई चुनौती देता है तो यह चुनौती देने वाले का काम है कि वह ऐसा सिद्ध करे। भारत में पुश्तों से रह रहे लोगों की नागरिकता को चुनौती केवल किसी प्रपत्र के न होने की वजह से नहीं दी जा सकती। पुरानी पीढ़ियों के लोगों के पास न अपना जन्म प्रमाणपत्र होता था और न कोई स्कूली सनद। अगर उनसे आज आयोग ये प्रमाणपत्र मांगने लगे तो उसे जायज किस तरह कहा जा सकता है। जबकि बिहार के सन्दर्भ में चुनाव आयोग 1987 के बाद पैदा होने वाले लोगों से ऐसे प्रमाणपत्र मांग रहा है। मगर घूम फिर कर बात फिर वहीं पर आती है कि क्या चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार है। जहां तक भारत की चुनाव प्रणाली का सवाल है तो यह समावेशी है न कि छंटनीपरक। बेशक जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची से कटने चाहिए मगर 18 वर्ष से अधिक आयु होने पर नाम जुड़ने भी तो चाहिए। इससे भी ऊपर और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को सघन पुनरीक्षण करने का अधिकार है क्योंकि चुनाव सम्बन्धी किसी भी कानून में सघन या गहन पुनरीक्षण का जिक्र नहीं है हां यह जरूर है कि समय-समय पर हर वर्ष चुनाव आयोग पुनरीक्षण या मतदाता सूची में संशोधन करता रहेगा। अतः मूल प्रश्न अदालत के सामने यह भी है।

विभाजन विभीषिका का दंश

1947 स्वतंत्रता की वह सुबह जब पूरे देश की फिजाओं में आजादी की महक फैल रही थी, उसी वक्त एक अंधेरी त्रासदी भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। भारत के इतिहास में 1947 का साल केवल एक नई शुरुआत का नहीं, बल्कि एक ऐसी विभीषिका का भी था जिसने करोड़ों परिवारों की खुशियां लील लीं और उन्हें ताउम्र के लिए जख्मी कर दिया। यह दर्द केवल राजनीतिक सीमाओं के बंटवारे का नहीं था, बल्कि मानवता के टूटने और सामाजिक रिश्तों के बिखरने का था। जब देश के नक्शे पर लकीरों की खींचाई हुई, तब हजारों निर्दोषों की जिंदगी में भूचाल आ गया। उस भूचाल ने न केवल घर-बार छीन लिए, बल्कि इंसानियत के उन धागों को भी तोड़ दिया जो सदियों से हमारे बीच एकता का आधार था। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांत की राजनीति ने देश को उस आग के गर्त में धकेल दिया जिसकी परछाइयां आज तक हमारे समाज से नहीं गईं। 16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा काला अध्याय था, जब कोलकाता में न केवल हिंदू, बल्कि हर इंसान की मानवीयता को छलनी कर दिया गया। उस दिन से बंगाल, पंजाब तक हिंसा ने न केवल जमीन को लाल किया, बल्कि मनुष्यों के दिलों को भी पत्थर बना दिया। जब हम सोचते है कि उस वक्त करीब 1.5 करोड़ लोग अपनी धरती छोड़ने को मजबूर हुए और लगभग दस लाख जानें गईं, तो उस संख्या के पीछे छुपी गमगीन कहानियां हमारे सामने चित्रित होती हैं। इन कहानियों में गुजरांवाला के लाला बलवंत खत्री का परिवार एक ऐसी दास्तान है जो पीड़ा की गहराई और मानवीय बलिदान का प्रतीक बन गया। एक ऐसे पिता का चित्र जो अपनी बेटियों को अपने ही हाथों से मौत की आग में डाल देता है ताकि वे नफरत की उस भीड़ के हवाले न हों जो उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी। प्रभावती और उनके आठ बच्चे, उनका पूरा परिवार, उस समय की भयावहता की ऐसी तस्वीर है जो आंखों के सामने घूमती रहती है। ऐसी हजारों कहानियां भारत भर में सुनाई देती है। उस काले दिन की गूंज आज भी दिल्ली के किंग्सवे कैंप की विस्थापित भारतीय कॉलोनियों में सुनाई देती है, जहां बुजुर्ग गम के आंसू पोंछते हैं और अपने खोए हुए घर-बार की बातें याद करते हैं। औरतों पर हुए अत्याचारों की गिनती बताना भी मुश्किल है। जब करीब 75,000 महिलाओं का अपहरण, बलात्कार और अमानवीय शोषण हुआ, तो कई परिवारों ने अपनी बेटियों को मौत दे दी ताकि उनका सम्मान बचा रहे। उस समय की पीड़ा केवल एक परिवार की नहीं थी, यह उस समाज का अपमान था जिसने महिलाओं को अपना आधार माना। उस समय की निर्दयता ने मानवीय संवेदनाओं को ध्वस्त कर दिया और उस जख्म को भुलाना आज भी संभव नहीं है। यह दर्द केवल घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बाद में साहित्य और सिनेमा में भी इसे गहराई से दर्शाया गया। भीष्म साहनी की 'तमस' ने विभाजन के भय और सांप्रदायिकता की त्रासदी को जो चित्रित किया, वह आज भी पढ़ने वाले को झकझोर देता है। खुशवंत सिंह की 'ट्रेन टू पाकिस्तान' ने मानवीय रिश्तों की टूटन और विश्वासघात की कहानी को बड़े संवेदनशील तरीके से बयान किया।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कल्पना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सात फेज, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/[illegible])

नई दिल्ली (ए. के.चौधरी)नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी से सरदार इंद्रजीत सिंह, डॉ रतनलाल और प्रोफेसर रविकांत ने मुलाकात की। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के OBC/SC विभाग के अध्यक्ष डॉ अनिल जेहिंद और राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। डॉ अनिल जेहिंद, जो हाल ही में कांग्रेस की OBC विभाग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ने राहुल गांधी के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए कहा कि यह बैठक एक घंटे से अधिक समय तक चली और उन्होंने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर चर्चा की। वह सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जोड़ने और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी में थे और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, अब कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष है। उनकी नियुक्ति को राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है

बारिश पर भारी पड़ रही पेट की भूख, भीगते हुए कोई बेच रहा सेब, कोई तिरंगा झंडा

नई दिल्ली । गुरुवार की भारी बारिश ने दिल्ली को तरबतर कर दिया है। कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं जलजमाव की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इस भारी बारिश में भी पेट की भूख लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रही है। भारी बारिश के बीच भी सड़कों पर कोई तिरंगा झंडा बेचकर अपनी आजीविका चलाने की कोशिश कर रहा है तो कोई सेब बेचकर शाम के भोजन का जुगाड़ कर रहा है। भारत मंडपम से कुछ दूर जाने पर अपनी घोड़ा गाड़ी के साथ खड़े आजम खान सेब बेच रहे हैं। वे सीलमपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अमर उजाला को बताया कि वे प्रतिदिन अपने घर से सुबह चार बजे ही मंडी चले जाते हैं। वहां से ताजे फल खरीदकर सड़कों पर अपनी घोड़ा गाड़ी लगाकर उसी पर सेब बेचते हैं। वे अपने परिवार में कमाने वाले अकेले हैं और किसी का सहारा नहीं है। ऐसे में बारिश हो या तेज धूप, ठंड का मौसम हो या तेज लू की गर्मी, वे चाहकर भी अपने घर पर नहीं रुक पाते हैं। उन्हें बाहर निकलकर पेट पालने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। नोएडा फ्लाईओवर के नीचे तिरंगे बना रहे रतन लाल (50 वर्ष) ने बताया कि वे कौन सा काम करते हैं, यह समय तय करता है। वे कभी फल बेच लेते हैं तो कभी फूल-माला। कभी पतंगें बेचते हैं तो कभी अन्य सामान। चूंकि, इस समय स्वतंत्रता दिवस का समय है, इसलिए वे तिरंगा झंडा बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस काम में उनका परिवार हाथ बंटाता है।

बारिश का मौसम है तो लोग भीगने से बचने के लिए रेन कोट खरीदते हैं। शायद यही कारण है कि सुमन कुमार सड़कों पर रेनकोट बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के समय रेनकोट बेचने से हर रेनकोट पर उन्हें करीब 20 रुपये बच जाते हैं। इससे उनके परिवार का गुजारा चल जाता है। जब बारिश का समय बीत जाएगा, वे ठंड में पहनने वाले कपड़े बेचने लगते हैं।

65 लाख नामों की सूची वेबसाइट पर डालें

ईसी से कहा- मंगलवार तक बताएं, क्या कर रहे हैं, आधार को वैध दस्तावेज माना

नई दिल्ली ।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी विवाद पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखीं। चुनाव आयोग ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कोर्ट से कहा कि उसके पास कुछ निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्ति है। इस दौरान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जिला स्तर पर मृत, पलायन कर चुके या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की सूची साझा करने पर सहमति जताई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 19 अगस्त तक मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की पहचान का खुलासा करने को कहा। कोर्ट ने 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण, कारण सहित प्रकाशित करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए मतदाताओं की सूची का कारण सहित अखबारों, रेडियो और टीवी मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करे। बिहार में ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम हटाए जाने से पीड़ित लोग आधार कार्ड के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि राजनीतिक नफरत के माहौल में काम करते हुए, शायद ही कोई ऐसा निर्णय हो, जिस पर विवाद न हो। हम राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष में फंसे हुए हैं। अगर वे जीतते हैं तो ईवीएम अच्छी है। अगर वे हारते हैं तो ईवीएम खराब है। बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार, बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को एसआईआर के लिए कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

पीड़ित 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा, आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं बता सकते, जो मर गए हैं या पलायन कर गए हैं या दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में चले गए हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि आप इन नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते? इससे पीड़ित 30 दिनों के भीतर सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं।

चुनाव आयोग की दलील, कोर्ट की सलाह

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मृत, विस्थापित या स्थानांतरित हुए लोगों के नामों की सूची राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि नागरिकों के अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर रहें। मृत, विस्थापित या स्थानांतरित मतदाताओं के नामों को डिस्प्ले बोर्ड या वेबसाइट पर प्रदर्शित करने से अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेबसाइटों, स्थानों के विवरण के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर विचार करें, जहां लोगों की जानकारी मृत, विस्थापित या स्थानांतरित साझा की जाती है।

दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा सख्त,

लाल किले के आसपास पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं और लगातार इसकी निगरानी कर रही है. लाल किले के आसपास पक्षियों को दाना खिलाने पर सख्त रोक लगाने का आदेश दिया गया है. यह कदम हेलीकॉप्टर की उड़ान में किसी भी रुकावट को रोकने के लिए उठाया गया है. पुलिस ने आसपास के नॉन-वेज रेस्टोरेंट्स को निर्देश दिया कि वे भोजन का कचरा सही तरीके से निपटाएं ताकि पक्षी इकट्ठा न हों. यह निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से संबोधन से पहले की सुरक्षा योजना का हिस्सा है.

सुरक्षा के लिए दिए गए अहम निर्देश

राजधानी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं. जैसे, पक्षी नियंत्रण के लिए लाल किले के आसपास पक्षियों को दाना खिलाने के सभी स्थान बंद किए जाएंगे. नॉन-वेज खाने वाले होटलों और रेस्टोरेंट में को कचरा निपटाने में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है. और हेलीकॉप्टर उड़ान में कोई दिक्कत न आए इसके लिए कड़े कदम उठाए जा रहे है.

हाई-टेक निगरानी और तैनाती

दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया. ट्रैफिक पुलिस को वाहनों की आवाजाही सुचारू रखने के लिए ब्रीफ किया गया. 15 अगस्त को 10,000 दिल्ली पुलिसकर्मी और 3,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. निगरानी के लिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे, अंडर-व्हीकल सर्विलांस सिस्टम सहित आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा.

सीसीटीवी और ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम

पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और वाहन स्कैनिंग के जरिए पांच तय पार्किंग स्थलों पर विस्फोटक, हथियार या प्रतिबंधित सामान की जांच की जाएगी. इन सभी उपायों का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और आस-पास के क्षेत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

विधायक पूजा पाल पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सपा से निष्कासित, सीएम योगी की तारीफ की थी

लखनऊ। अखिलेश यादव ने कौशांबी स्थित चायल से पार्टी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया है. अखिलेश द्वारा निष्कासन का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पूजा पाल ने विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा था कि उनके पति की हत्या के बाद सीएम ने उन्हें न्याय दिलाया. अब पूजा पाल ने कन्नौज सांसद अखिलेश के इस फैसले पर टिप्पणी की है. पूजा पाल ने अपने निष्कासन पर कहा कि शायद आप प्रयागराज की उन महिलाओं की बात नहीं सुन पाए जो मुझसे भी ज्यादा परेशान थीं. लेकिन मैं उनकी आवाज हूं. मुझे विधायक चुनकर विधानसभा भेजा गया है. मैं उन माताओं-बहनों की आवाज हूं जिन्होंने अपनों को खोया है. पूजा ने कहा कि उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है. प्रयागराज में अतीक अहमद के कारण परेशान सभी लोगों को सीएम ने न्याय दिलाया है, सिर्फ पूजा पाल को नहीं. मैं ये बात पहले दिन से कह रही हूं, जब मैं पार्टी में थी. मुझे आज ही निकाला गया है. मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं.

राहुल गांधी पर चुनाव आयोग का हमला, 'वोट चोरी' के ठोस सबूत दें

नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्ष के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया।

चुनाव आयोग ने कहा, 'वोट चोरी' जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। आयोग ने कहा, ऐसे आरोप लाखों चुनावकर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है। 'एक व्यक्ति, एक वोट' का कानून भारत के पहले आम चुनाव 1951-1952 से ही लागू है। यदि किसी के पास इस बात का प्रमाण है कि किसी व्यक्ति ने किसी चुनाव में वास्तव में दो बार मतदान किया है, तो उसे बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को 'चोर' कहने के बजाय, एक शपथ-पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को यह प्रमाण सौंपना चाहिए।

वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे : राहुल

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 17 अगस्त को वह अपनी ''वोटर अधिकार यात्रा'' के जरिये कथित ''वोट चोरी'' के खिलाफ बिहार की धरती से सीधी लड़ाई शुरू करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि यह केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और रक्षा का निर्णायक संग्राम है। राहुल गांधी ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की 'एक्स' पर लिखा, 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं - यह लोकतंत्र, संविधान और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। उन्होंने कहा, हम पूरे देश में साफ-सुथरी मतदाता सूची बनवाकर ही रहेंगे। युवा, मजदूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। राहुल गांधी ने कहा, अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई अन्य घटक दलों के नेता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा कथित 'वोट चोरी के खिलाफ 17 अगस्त से 'वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे। सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली के साथ होगा। इस जनसभा में 'इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते है।

न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने संबंधी याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को केंद्र से जवाब देने को कहा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर भी गौर किया कि ''निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई विचार शामिल हैं।''

पीठ ने शिक्षाविद् जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका को आठ सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जब भट्ट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया, तो सीजेआई ने कहा, ''पहलगाम में जो हुआ उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते... निर्णय लेना संसद और कार्यपालिका का काम है।'' उच्चतम न्यायालय ने 11 दिसंबर 2023 को अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को सर्वसम्मति से बरकरार रखा था। यह अनुच्छेद पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि इस केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव होंगे और इसका राज्य का दर्जा ''जल्द से जल्द'' बहाल किया जाएगा। पिछले साल, शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

बंगाल के बिना भारत को आजादी नहीं मिलती, बंगाली भाषा विवाद के बीच ममता बनर्जी का बयान

कोलकाता ।

बंगाली भाषा विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल नहीं होता तो भारत को आजादी नहीं मिलती। क्योंकि रवींद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियां यहीं पैदा हुई थीं। उन्होंने देश के भाग्य को आकार देने में अहम योगदान दिया। कोलकाता में कन्याश्री योजना की 12वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बंगाल आशा की किरण है। यह विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और जय हिंद का नारा सभी बंगालियों की रचनाएं हैं। आप पाएंगे कि सेलुलर जेल (पोर्ट ब्लेयर में) के लगभग 70 प्रतिशत कैदी बंगाली थे। पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी दूसरे स्थान पर थे। ममता बनर्जी का यह बयान उस वक्त आया जब टीएमसी बंगाली अस्मिता (गौरव) को लेकर अभियान चला रही है। साथ ही भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है।

विभाजन के बाद जो लोग देश में आए वे सभी नागरिक

ममता बनर्जी ने छात्राओं से कहा कि कल स्वतंत्रता दिवस है। मैं सभी से संकीर्णता और विभाजनकारी विचारों को त्यागने का आग्रह करती हूं। बंगाल विविधता के बीच सद्भाव और एकता का प्रतीक है। हम मजबूत और एकजुट हैं। विभाजन के बाद जो लोग देश में आये, वे सभी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि कल ही मैंने पढ़ा कि एक पिता अपने बेटे के साथ एक खेल आयोजन में गए थे, लेकिन बंगाली में बोलने की वजह से उन्हें नोएडा के एक होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी गई। अगर हम आपकी भाषाओं का सम्मान कर सकते हैं, तो आप हमारी भाषाओं का सम्मान क्यों नहीं कर सकते?

केंद्र सरकार पर बोला हमला

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को केंद्र से बजट नहीं मिल रहा है। उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है। यूजीसी ने शोध गतिविधियों को फंड देना लगभग बंद कर दिया है। राज्य सरकार अब उन शैक्षणिक प्रयासों को प्रायोजित कर रही है। सीएम ने कहा कि अंग्रेजी सहित कई भाषाएं सीखने की जरूरत है, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए। बंगाली की मिठास सर्वव्यापी है।

93 लाख छात्राओं को मिला कन्याश्री योजना का लाभ

ममता बनर्जी ने कहा कि अब तक 93 लाख छात्राओं ने कन्याश्रीयोजना का लाभ उठाया है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है और अगले साल यह संख्या एक करोड़ को पार कर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन पर 17,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि कन्याश्री के कारण प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर शून्य है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। कन्याश्री योजना के तहत 13 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की गरीब स्कूली छात्राओं को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये तथा वयस्क होने पर 25,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है।

सतीश महाना ने की पीएम मोदी की सराहना, कहा - वे एक राजनेता हैं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें राजनेता बताया। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को 'विजन-2047 को लेकर जारी चर्चा के दौरान महाना ने मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मैं उनका (मोदी) और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। महाना ने कहा, जो राजनीतिक नेता अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं वे राजनेता होते हैं। देश और समाज को शिखर पर पहुंचाते हैं,

वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री राजनेता हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी इस दिशा में सोचते हैं और कार्य करते हैं। महाना ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने विकसित भारत की परिकल्पना की है। मैं उनका और मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। मोदी का विजन है कि 2047 तक राम राज्य स्थापित हो। राम राज्य का मतलब है कि कोई भी दरिद्र और दुखी न रहे।

आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर फैसला सुरक्षित; एसजी बोले- मुद्दा सुलझाने की जरूरत, सिब्बल ने कहा- बहस जरूरी

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों को पकड़ने के 11 अगस्त के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि पूरी समस्या स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण है। नियमों का पालन न करने की वजह से समस्या इतनी बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के कार्यान्वयन पर उनका रुख पूछा। कोर्ट ने कहा कि पूरी समस्या नियमों के कार्यान्वयन में अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण है। नियम और कानून संसद की ओर से बनाए जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता। स्थानीय अधिकारी वह नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें करना चाहिए। एक ओर इंसान पीड़ित है, तो दूसरी ओर जानवर भी पीड़ित है और पशु प्रेमी यहां मौजूद हैं। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि रेबीज फैलाने वाले कुत्तों के काटने से बच्चों की मौत हो रही है। आवारा कुत्तों के मुद्दे का समाधान किया जाना चाहिए, न कि इस पर विवाद किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि नसबंदी से रेबीज नहीं रुकता, भले ही आप उन्हें टीका लगा दें। इससे बच्चों को नुकसान पहुंचने की घटनाएं नहीं रुकतीं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें कहा गया है कि 2024 में देश में कुत्तों के काटने के 37 लाख मामले सामने आए। इस दौरान रेबीज से 305 मौतें हुईं। विश्व

स्वास्थ्य संगठन के मॉडल के अनुसार वह संख्या कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि बच्चे खुले में खेलने नहीं जा पा रहे हैं। कोर्ट को इसका समाधान ढूंढना होगा। यह अल्पसंख्यकों का मुखर दृष्टिकोण है, जबकि बहुसंख्यक चुपचाप पीड़ित हैं।

सिब्बल ने की फैसले पर रोक की मांग

कुत्तों की देखभाल करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्थिति बहुत गंभीर है। इस मामले पर गहराई से बहस करने की जरूरत है। सिब्बल ने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पारित कुछ निर्देशों पर रोक लगाने की मांग की, जिनमें दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द उठाना शुरू करने और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने के निर्देश शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि क्या नगर निगम ने कुत्तों के लिए आश्रय गृह बनाए हैं? क्या कुत्तों की नसबंदी की गई है? अब कुत्तों को उठाया जा रहा है। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि एक बार नसबंदी हो जाने के बाद आवारा कुत्तों को समुदाय में नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी की दलील

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने 11 अगस्त के उस आदेश का भी विरोध किया, जिसमें अधिकारियों को आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाएं तो होती हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है। बेशक, कुत्तों के काटने की घटनाएं बुरी हैं, लेकिन आप इस तरह की भयावह स्थिति पैदा नहीं कर सकते। इससे पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे जल्द से जल्द सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें और उन्हें आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करें। पीठ ने अधिकारियों को तत्काल आश्रय स्थल बनाने और आठ सप्ताह के भीतर इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में ही रखा जाएगा और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से खासकर बच्चों में रेबीज होने के मामले में 28 जुलाई को शुरू किए गए एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए कई निर्देश जारी किए थे।

दिल्ली में एक और गैंगरेप! नशीला पदार्थ पिलाकर युवती से हैवानियत, आरोपियों की तलाश जारी

नई दिल्ली । दिल्ली, देश की राजधानी में एक बार फिर गैंगरेप जैसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सिविल लाइंस इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने न सिर्फ उससे रेप किया, बल्कि उसकी पिटाई की और धमकी भी दी कि घटना बताने पर गंभीर अंजाम भुगतने होंगे. यह घटना रविवार (11 अगस्त) रात सिविल लाइंस इलाके में हुई. पुलिस के मुताबिक, पीड़िता एक निजी फर्म में काम करती है और पंजाबी बाग में रहती है. उसने बताया कि उसकी महिला मित्र ने रविवार (11 अगस्त) को एक अन्य दोस्त के घर पर पार्टी के लिए बुलाया था. पार्टी में देर रात तक शराब पी जा रही थी. पुलिस ने बताया कि इसी दौरान उसे नशीला पदार्थ मिलाकर शराब पिलाई गई, जिसके बाद वह अर्धचेतन अवस्था में चली गई. पीड़िता का कहना है कि इसी हालत में कई लोगों ने मिलकर उसका यौन शोषण किया. रविवार रात सिविल लाइंस इलाके में 24 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और मेडिकल जांच भी कराई गई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है । युवती ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना के बाद उसे धमकाया और कहा कि यदि उसने किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल जांच करवाई है और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जांच में पार्टी में मौजूद लोगों की पहचान की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि मामले में कई पहलुओं से जांच चल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. यह घटना राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े करती है और समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत को उजागर करती है. फिलहाल पुलिस पीड़िता को सुरक्षा प्रदान कर रही है और घटना में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है.

राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा है और न ही उसका सम्मान करते हैं, विपक्ष के नेता पर किरेन रिजिजू का तंज

नई दिल्ली । केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संविधान नहीं पढ़ा है और न ही उसका सम्मान करते हैं। मीडिया से बात करते हुए, रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा है और न ही उसका सम्मान करते हैं। मेरे पास राहुल गांधी को सुधारने के लिए कोई दवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उन्हें होश में आना चाहिए। रिजिजू बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दे रहे थे, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन को सही ठहराया गया था और यह स्वीकार किया गया था कि आधार कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। कांग्रेस में कई बुद्धिमान लोगों की मौजूदगी का जिक्र करते हुए, किरण रिजिजू ने उनसे राहुल गांधी को कुछ सद्बुद्धि देने का अनुरोध किया। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस में भी कुछ चतुर लोग हैं, सभी राहुल गांधी जैसे नहीं हैं। उन्हें एकजुट होकर राहुल गांधी को कुछ सद्बुद्धि देनी चाहिए। राहुल गांधी द्वारा साझा किए गए उस वीडियो के बारे में, जिसमें वे चुनाव आयोग द्वारा मृत घोषित किए गए लोगों से मिले थे, किरण रिजिजू ने इसे नाटक बताते हुए दोहराया कि चुनाव आयोग का काम मृत लोगों के नाम हटाना और नए मतदाताओं के नाम जोड़ना है। रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग के 3-4 दिशानिर्देश हैं। हर राज्य में चुनाव आयुक्त अधिकारी होते हैं जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया आजादी के बाद से चली आ रही है और होनी भी चाहिए। यह सुनिश्चित करती है कि मृत लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाएँ। तो फिर राहुल गांधी चाय पीने का नाटक क्यों कर रहे हैं? एसआईआर का उद्देश्य मृत लोगों के नाम हटाना और नए मतदाता जोड़ना है,।

स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के लिए 16 बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया

नई दिल्ली । ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बीएसएफ ने 118 से ज्यादा पाकिस्तानी चौकियाँ तबाह कर दीं और उनकी पूरी निगरानी प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। बीएसएफ ने सटीक खुफिया जानकारी और कम से कम समय में अधिकतम नुकसान पहुँचाने की तैयारी के साथ पाकिस्तान के हमले का जवाब दिया। राष्ट्र उन सतर्क और समर्पित बीएसएफ कर्मियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है जो चुनौतीपूर्ण सीमाओं पर चौबीसों घंटे सतर्क रहते हैं। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ''विशिष्ट बहादुरी'' और ''अद्वितीय साहस'' का प्रदर्शन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। अर्धसैनिक बल बीएसएफ देश के पश्चिमी हिस्से में भारत-पाकिस्तान सीमा की रक्षा करने का दायित्व निभा रहा है। बीएसएफ ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''इस स्वतंत्रता दिवस पर 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान दृढ़ और अडिग रहने, उनकी विशिष्ट बहादुरी और अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। उसने कहा, ''पदक भारत की पहली रक्षा पंक्ति- सीमा सुरक्षा बल में व्यक्त राष्ट्र के विश्वास और भरोसे का प्रमाण है।'' पदक विजेताओं में एक डिप्टी कमांडेंट रैंक के अधिकारी, दो सहायक कमांडेंट और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। पदक विजेताओं में एक डिप्टी कमांडेंट रैंक का अधिकारी, दो सहायक कमांडेंट और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। ऑपरेशन सिन्दूर के तहत भारत ने 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में सात से 10 मई तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में खारिज की जनहित याचिका, कहा- हम पोस्ट ऑफिस नहीं

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण और कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है. इस मामले में याचिकाकर्ता ने बिना उचित समय दिए ही इस मामले को अदालत में ला दिया. इस बीच चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ जमीन पर अवैध बैंक्वेट हॉल, कैफे, स्क्रैपयार्ड, कार वॉश सेंटर आदि चल रहे हैं. याचिका में इन पर कार्रवाई करने और अवैध प्रतिष्ठानों की बिजली काटने की मांग भी की गई थी. इस मामले में अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा की याचिकाकर्ता ने 23 जुलाई को एमसीडी को शिकायत दी और 2 अगस्त को कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया. इतनी जल्दबाजी उनकी नियत पर सवाल उठाती है. जब एक बार शिकायत दर्ज कर दी तो उचित समय एजेंसी को देना चाहिए था. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अधिकार क्षेत्र को इतना हल्के में न लें, क्या हम पोस्ट ऑफिस है ? आप 23 जुलाई को शिकायत करते हैं और अगस्त में याचिका लेकर आ जाते हैं अभी एक महीना भी नहीं बीता. इसके बाद बिजली कनेक्शन के मुद्दे पर भी कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले अधिकारियों से संपर्क तक नहीं किया. इस पर अदालत ने याचिका को ना सुनने का फैसला किया और याचिकाकर्ता को याचिका इसलिए वापस लेने की अनुमति दे दी, ताकि वह पहले संबंधित अधिकारियों के पास जाएं. इस पर कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यदि वह अधिकारियों के पास जाते हैं तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया.

दिल्ली में पेड़ के नीचे दब गया बाइक सवार, मौके पर मौत, सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो

नई दिल्ली ।

देश की राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर भारी बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ गिर गया. जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई और कई अन्य लोग, वाहन इस हादसे में चपेट में आ गए. यह घटना 14 अगस्त यानी आज हुई है. जब दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया. बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है और इलाकों में यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है.

पेड़ गिरने से कई अन्य लोग भी घायल हुए

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बड़ा पेड़ अचानक गिर गया और उसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की जान चली गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि पेड़ गिरने से एक मोटरसाइकिल और एक कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पेड़ गिरने से कई अन्य लोग भी घायल हुए, लेकिन उनकी स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी नहीं मिली. वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें बेहद ही दर्दनाक हैं, जहां पेड़ की विशाल शाखाएं सड़क पर पड़ी है और उनके नीचे दबे वाहन और लोग नजर आ रहे है.

भारी बारिश ने पूरे शहर को अस्त-व्यस्त कर दिया

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है.

दिल्ली मेट्रो में सैनेटरी मशीनों की कमी, हाईकोर्ट ने डीएमआरसी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली ।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर महिलाओं के लिए सैनेटरी वेंडिंग मशीनों और डिस्पोजल यूनिट की कमी को लेकर दायक जनहित याचिका पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर है, क्योंकि महिलाओं को मेट्रो स्टेशनों पर टॉयलेट में सैनेटरी वेंडिंग मशीन न होने के कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डीएमआरसी को निर्देश दिया कि वह 2 हफ्ते में विस्तृत जानकारी दे कि दिल्ली मेट्रो के कुल कितने स्टेशनों पर सैनेटरी वेंडिंग मशीनें और डिस्पोजल यूनिट लगाई गई हैं और उनमें से कितनी मशीनें इस समय काम कर रही है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान डीएमआरसी के वकील ने कहा कि DMRC का मुख्य काम ट्रांसपोर्ट प्रणाली की योजना निर्माण और संचालन है. इसलिए इस मामले में जवाब देने के लिए समय चाहिए. इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए डीएमआरसी से पूछा कि मेट्रो स्टेशन पर टॉयलेट का रखरखाव कौन करता है. जब स्टेशन बनाते हैं तो उसमें टॉयलेट होता है, तो उसका संचालन और रखरखाव कौन करता है.